

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 222 B/2021

वादी :- अणु रवां पुत्र स्थिवरे रवां
कौम शिपाई - शा-पारोदी

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :- हबीब रवां पठान रवां, आसीब रवां,
आबू रवां, साबू रवां पि० स्थिवरे रवां
सुवरी - जैना स्थिवरे रवां
शा-पारोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काफ्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरुस्ती

उपस्थिति :- 1. श्री वादीगण स्वयं वादी।
2. श्री रवंप प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :- 30/11/21

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काफ्त की भूमि खेत खसरा नं 17 रकबा 50 बीघा,

सरहद मौजा मुकनुपुरा तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काफ्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम आबू रवां होने से राजस्व रेकर्ड में अणु रवां दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम इरफान रवां दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज अणु रवां के स्थान पर इरफान रवां सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेष सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O) बालोतरा



प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जवाबदावा पेश कर
वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का
बचपन नाम श्रुत्यु खां के स्थान पर इरफान खां
दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पचपदरा
तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया
जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया
कि खेत खसरा नं 17 रकबा 50
बीघा, सरहद मौजा मुमनपुरा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में
लाड-प्यार का नाम श्रुत्यु खां दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में
प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम
पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन
स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम श्रुत्यु खां दर्ज किया गया है
वादी का सही नाम इरफान खां है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने
में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं
17 रकबा 50 बीघा, सरहद मौजा मुमनपुरा

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम श्रुत्यु खां पुत्र रिपिके खां
... के स्थान पर इरफान खां पुत्र रिपिके खां खातेदार घोषित किया जाता
है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में
अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।
निर्णय आज दिनांक 30/11/21 को कोर्ट केम्प कोर्ट मुमनपुरा में मजमे
आम में सुनाया गया।

(नरेण सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर
वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का
बचपन नाम अबु खां के स्थान पर इरफान खां
दुरुस्ती की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच तहसीलदार पचपदरा
तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया
जिसमें नाम दुरुस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया
कि खेत खसरा नं 17 रकबा 50
बीघा, सरहद मौजा मुकनपुरा तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में
लाड-प्यार का नाम अबु खां दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में
प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजों सरपंच ग्राम
पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार पचपदरा की जांच रिपोर्ट के अवलोकन
स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम अबु खां दर्ज किया गया है
वादी का सही नाम इरफान खां है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने
में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं
17 रकबा 50 बीघा, सरहद मौजा मुकनपुरा

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम अबु खां पुत्र रिपवेरे खां
के स्थान पर इरफान खां पुत्र रिपवेरे खां खातेदार घोषित किया जाता
है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में
अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।
निर्णय आज दिनांक 30/11/21 को कोर्ट केम्प कोर्ट मुकनपुरा में मजमे
आम में सुनाया गया।


(नरेण्डर सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा